

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—: प्रेस-नोट :-

दिनांक : 09.04.2025

आयोग द्वारा कृषि अधिकारी परीक्षा, 2024 (कृषि विभाग) का आयोजन दिनांक 20.04.2025 (रविवार) को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक अजमेर जिला मुख्यालय पर किया जा रहा है। उक्त परीक्षा में ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक के पाँचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जायेगा।

उक्त परीक्षा के प्रवेश-पत्र दिनांक 17.04.2025 को आयोग की वेबसाइट एवं SSO Portal पर अपलोड किये जायेंगे। अतः अभ्यर्थी यथाशीघ्र समयान्तर्गत प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर लें।

परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारम्भ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जायेगा। इसके पश्चात् किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। अतः अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केन्द्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जाँच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, अतः समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट <https://rpsc.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Admit Card लिंक पर जाकर आवेदन-पत्र क्रमांक (Application No.) व जन्म दिनांक से डाउनलोड कर लें। साथ ही अभ्यर्थी <https://sso.rajasthan.gov.in> पर लॉगिन कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment portal लिंक का चयन कर भी संबंधित परीक्षा का प्रवेश-पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर पहचान हेतु अद्यतन मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित हों। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है, तो अन्य मूल फोटो पहचान पत्र यथा ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, मतदाता पहचान-पत्र जिसमें रंगीन व नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, लेकर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित हों। साथ ही प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम स्पष्ट रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें। स्पष्ट मूल फोटोयुक्त पहचान-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को केन्द्र पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थी परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लें।

चेतावनी:-

1. आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को आगाह किया जाता है कि परीक्षाओं के संबंध में किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में ना आए। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के लिये रिश्वत की मांग करता है या किसी अन्य तरह का प्रलोभन या झांसा देता है, तो प्रमाण सहित इस संबंध में जाँच एजेन्सी एवं आयोग कंट्रोल रूम के दूरभाष नं. 0145-2635200, 2635212, 2635255 पर सूचित करें।
2. परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल-अचल सम्पत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है।

(रामनिवास मेहता)

सचिव